को कठोर करके नए रास्तों की खोज कर रही है"। द्विपक्षीय वार्तालाप के दौरान, कनाडा के प्रधान मंत्री को भारत में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों की जानकारी दी गई।

Quota of Rice to Kerala

1121. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CON SUMER AFFAIRS AND PUBLIC DIS TRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal for increase in the quota of the rice to the State of Kerala;

(b) whether it is a fact that the State Government has sent any proposal thereto; and

(c) if so, the decision taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) to (c) The Centra! Government makes bulk allocation of rice to all States/UTs including Kerala on a month to month basis, based on the availability of stocks in the Central Pool, inter-sc demand, offtake against allocated quantities and seasonal factors. Central Government has not received any proposal from Government of Kerala for increasing the overall monthly quota of rice *t<WI *J3&* tfferoif % WTO if Ufa

कोयला खान दुर्घटनाओं के संबंध में जांच प्रतिवेदन

1122. **चौधरी हरमोहन सिंह** :

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1989 से 1995 के बीच कोयला खानों में हुई गंभीर दुर्घटनाओं के संबंध में जांच कार्य को अब तक पूरा नहीं किया है, और

(ख) यदि हां, तो उन दुर्घटनाओं, जिनकी जाचं पूरी कर ली गयी है और जिन दुर्घटनाओं की जांच अभी तक पूरी नहीं की गयी है, का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक ऐसी दुर्घटना जो प्राणघातक होती है, की खान सुरक्षा महानिदेशालय के किसी अधिकारी अथवा अधिकारियों के दल द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है। विस्फोटकों अथवा शाफ्ट के मैन वाइन्डिंग आपरेशनों के कारण होने वाली कतिपय गंभीर दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली गंभीर शरीर चोट के मामलों की भी खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है। इसके अतिरिक्त कोयला खान विनियमन, 1957 के विनियम सं. 41 (8) के अनुसार, संबंधित खान प्रबंधक के लिए सभी घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की जाचं कराना अपेक्षित किया गया है।

दो दुर्घटनाओं, जो क्रमश: 258-1-94, और 26-9-95 को मैं. ईस्टर्न कोलफोल्ड्स लि. के न्यू केडा कोयला खदान और मैं, भारतकोकिंग कोल लि. को गजलीटांड कोयला खदान में घटी को छोड़कर सभी घातक दुर्घटनाओं की जाचं पूरी की जा चुकी है। इन दुर्घटनाओं के लिए, सरकार ने खान अधिनियम, 1952 की धारा 24(2) के अधीन प्रदत्त परिस्थितयों की जांच करने के लिए घटनाओं के कारणों और परिस्थितियों की जाचं करने के लिए दो अलग-अलग जाचं न्यायालय गठित किए हैं। जाचं न्यायालय की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

Sugar Production

1123. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether sugar production in the country during 1994-95 season exceeded the installed capacity of the sugar industry;

(b) if so, what is the estimated output of sugar in excess of the installed capacity of the sugar industry during the 1994-95 season;

(c) the States which have shown higher production of sugar that the installed capacity;

(d) whether with the increase sugar production Government propose to re duce the import of sugar, if so, by how much; and